सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 06, बुधवार, *शाके* 1945-अप्रेल 26, 2023 *Vaisakha 06, Wednesday , Saka 1945- April 26, 2023*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

बाल अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, **अप्रैल 21, 2023**

संख्या एफ20(9)(2)**बाअवि/किन्याअ/बाकस /मनोनयन** /2023/ **:-**किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 4(2) के अन्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रकरणों की जांच, सुनवाई एवं निपटान हेतु निम्न जिलों में गठित किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ताओं का सदस्य के रूप में एतद्द्वारा मनोनयन किया जाता है:-

किशोर न्याय बोर्ड, चित्तौडगढ

क्र सं.	**चयनित सामाजिक कार्यकर्ता का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)**	**बोर्ड में पद**
1	अरूणा कंवर राठौड पत्नि शक्ति सिंह राठौड 148 तेजाजी का चौक, प्रताप नगर, चित्तौडगढ, राजस्थान	**महिला-सदस्य**
2	लोकेश कुमार रेगर पुत्र नरेन्द्र कुमार 149 शास्त्री नगर, चित्तौडगढ राजस्थान	**सदस्य**

किशोर न्याय बोर्ड**,** भीलवाडा

क्र सं.	**चयनित सामाजिक कार्यकर्ता का नाम** **(श्री/श्रीमती/सुश्री)**	**बोर्ड में पद**
1	उर्मिला सिरोठा पुत्री भंवरलाल सिरोठा पी-75 अम्बेश हॉस्पीटल के पीछे आजाद नगर भीलवाडा, राजस्थान	**महिला-सदस्य**
2	नरेश पारीक पुत्र मनोहरलाल पारीक 84, विस्तार, यू.आई. टी. आफिस के सामने, सुभाष नगर, भीलवाडा राजस्थान	**सदस्य**

किशोर न्याय बोर्ड, राजसमंद

क्र सं.	**चयनित सामाजिक कार्यकर्ता का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)**	**समिति में पद**
1	भावना पालीवाल पत्नि भगवती प्रसाद पालीवाल गांव ड़िप्टी पोस्ट सुन्दरचा जिला राजसमन्द राजस्थान	**महिला-सदस्य**
2	विजय सिंह गोरवा पुत्र यशवन्त सिंह गोरवा तहसील रोड़, कर्मचारी कोलोनी, तह.नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द, राजस्थान	**सदस्य**

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4(7) एवं आदर्श नियम, 2016 के नियम 5 में वर्णित प्रावधानों के तहत बोर्ड में मनोनीत सदस्यों का सम्यक जांच उपरान्त मनोनयन समाप्त किया जा सकेगा।

किशोर न्याय बोर्ड में मनोनीत सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से 3 वर्ष के लिए होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

पूनम,
आयुक्त।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।